

E-MAIL/FAX



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.nic.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.nic.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 29/ 2017

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 26.07.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the meeting held on 26.07.2017 — Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 23वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 को शाम 4.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 24th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 4.00 PM on 26.07.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
2. Amreeta Titus, Dy. Commissioner
3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
4. V.A.Moideen Naina, Asst.Commissioner
5. M.R.Hajong, Asst.Commissioner
6. M.S.Suresh, Asst. Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
8. A.L. Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
9. Baiju Daniel, Appraiser
10. V.Usha, Superintendent of Customs

सीमाशुल्क से विचार-विमर्श करने वाले विभागों/एजेंसियों/पणधारियों के प्रतिनिधि: सर्वश्री

Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. V.T.Jadhav, Textile Committee
2. Dr.Jesto George, FSSAI
3. Dr.Vrushhi, AQCS
4. Raj Vinod. CPT
5. G.Gupta, CPT

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और 29.06.2017 को आयोजित सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा।

The Chair welcomed the members to the meeting and read out the minutes of the CCFC meeting held on 29.06.2017.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई / Action on Minutes of Last Meeting

बिंदु सं.1 : आगम पत्रों के कुछ विवरणों का उल्लेख न होना (पीक्यूएससी)

Point No.1. Non reflection of some details of the Bills of Entry (PQSC)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह मामला अभी भी लंबित है पी.क्यू.एस.सी. प्राधिकारियों ने अभी तक उस छूटे हुए डाटा का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे सिस्टम महानिदेशालय के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए उठाया जाना है।

The Chair informed that the issue is still pending as PQSC authorities have not yet submitted the details of the missing data so as to be taken up with the DG Systems for necessary action.

(कार्रवाई : पीक्यूएससी Action: PQSC)

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 : निकासी के संदर्भ में अग्रिम लाइसेंस योजना की सुविधा का गलत इस्तेमाल करना (एफएसएसएआई)

Point No.1. Misusing the facility of Advance License Scheme w.r.t. clearance (FSSAI)

एफएसएसएआई प्राधिकारियों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में संदेह है कि अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात किया गया और पुनः निर्यात की शर्त पर एफएसएसएआई निकासी के बिना छोड़ा गया सामान घरेलू बाज़ार में पहुंच रहा है। उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

The FSSAI authorities informed that in few cases, the goods imported under advance license scheme released without FSSAI clearance on condition for re-

export, are suspected to be reaching the domestic market and requested for necessary action.

बिंदु सं. 2 : एफएसएसएआई आयात लाइसेंस के बिना खाद्य कन्साइनमेंटों का आयात (एफएसएसएआई)

Point No.2. Import of Food consignments without FASSAI Import License(FSSAI)

एफएसएसएआई प्राधिकारियों ने सूचित किया कि कुछ आयातक खाद्य कन्साइनमेंटों के आयात के बाद एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन दे कर उसे पाने के लिए इंतजार करना एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए उनके सिस्टम में कन्सानमेंटों की निकासी में अनावश्यक देरी होती है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि इस संबंध में सीमाशुल्क ब्रोकर्स और संबंधित आयातकों को आवश्यक अनुदेश दें, ताकि लाइसेंस के तहत ही आयात किया जाए।

Fssai authorities informed that some importers are applying for License from FSSAI after the import of food consignments. As submitting the application and waiting for obtaining the same is a time consuming process, clearance of consignment gets delayed unnecessarily in their system. Hence, they requested that necessary instructions in this regard may be issued to the CBs and Importers concerned, so that import is made only under License.

अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि दोनों बिंदुओं पर तत्काल अनुदेश जारी कर दिए जाएंगे।

The Chair assured that instructions on both the points would be issued immediately.

(कार्रवाई Action : ए.ओ. (टी) AO(T))

सदस्यों ने चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए इसलिए अध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since the members have not brought any other points for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in. के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in/](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) ccucochin@gmail.com. के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at

ccu@cochincustoms.gov.in / ccucochin@gmail.com.

Sd/-

(पुल्लेला नागेश्वर राव **Pullela Nageswara Rao**)
प्रधान आयुक्त **Principal Commissioner**

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated:31.07.2017.

//अनुप्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै **Vijayan Pillai**)
सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) **Supdt. of Customs (CCU)**

प्रस्तुत Submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs (Thruvananthapuram Zone)Cochin.
2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :Additional Commissioner/All D.Cs & A.Cs/All Members.